

मास्टर परिपत्र
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार -
विशेष कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं

1. भारत सरकार ने इस बारे में सावधानी बरतने का उल्लेख किया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों द्वारा मिलने वाले लाभ सही और पर्याप्त मात्रा में प्रदान किये जाते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध होता है।

2. अल्पसंख्यक समुदायों की परिभाषा

2.1 निम्नलिखित समुदायों को भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है :

- (क) सिख
- (ख) मुस्लिम
- (ग) इसाई
- (घ) ज्ञोरास्ट्रियन
- (ङ) बुद्धिस्ट

3. विशेष कक्ष की स्थापना और पूर्णतया उसके लिए नामित अधिकारी

3.1 प्रत्येक बैंक में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण आसानी से उपलब्ध होता रहे और इस कक्ष का मुख्य अधिकारी उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या कोई अन्य समश्रेणी का होगा, जो 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करेगा।

3.2 प्रत्येक अल्पसंख्यक बहुल जिले के अग्रणी बैंक में एक अधिकारी होगा जो पूर्णतया अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित समस्याओं की ही जांच करेगा। बैंक ऋण के विविध कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार अल्पसंख्यक समुदायों के बीच करना और उनके लाभ हेतु शाखा प्रबंधकों के सहयोग से उपयुक्त योजनाएं बनाना उसका उत्तरदायित्व होगा।

3.3 हाल ही में, भारत सरकार ने उन राज्यों को छोड़कर जहां अल्पसंख्यक मेजोरिटी में है (जम्मू और काश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप) उन 103 अल्पसंख्यक संकेंद्रित जिलों की सूची भेजी है जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से

कम 25% है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआट्रॉवि.एसपी.बीसी.सं. 83/09.10.01/2006-07 द्वारा यह सूचित किया गया है कि वे उन 44 जिलों के बजाए जिनकी निगरानी की जा रही है, इन 103 जिलों के अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धता की विशेष रूप से निगरानी करें और उसके द्वारा यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदाय को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण लक्ष्य के अंदर ऋण का उचित और बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है (अल्पसंख्यक संकेतित जिलों की अद्यतन सूची अनुबंध II में दी गई है)।

- 3.4 नामित अधिकारी संबंधित जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय की ऋण सहायता से संबंधित पहलुओं पर ही ध्यान देगा और वह जिले स्तर पर स्थापित अग्रणी बैंक से संबद्ध होगा। इस प्रकार, वह अग्रणी बैंक अधिकारी से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेगा। अग्रणी बैंक अधिकारी काफी वरिष्ठ स्तर का अधिकारी होगा जिसे अन्य क्रेडिट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करने का पर्याप्त अनुभव होगा। वह जिले के अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधकों के धनिष्ठ सहयोग के साथ काम भी करता रहा होगा। नामित अधिकारी अल्प संख्यक समुदायों के सदस्यों के लिए यथोचित योजनाएं तैयार करने में उनके मार्गदर्शन के लिए बैठकें आयोजित करने की भी व्यवस्था करेगा। संबंधित बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि नामित अधिकारी को सौंपी गई भूमिका कारगर रूप से सफल होती है।
- 3.5 जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के समन्वयक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यक समुदायों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जाते हैं और इस संबंध में की गयी प्रगति की उनकी बैठकों में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
- 3.6 जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति/राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकें/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वयक बैंक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को या उनके प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी), राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठक (एसएलआरएम) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं।
- 3.7 i) मुख्य कार्यालय के विशेष कक्ष के प्रभारी अधिकारी ii) चयनित जिलों में केवल अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं के संबंध में कार्रवाई करने वाले अग्रणी बैंकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों के नाम, पदनाम और पते अल्पसंख्यकों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग को बैंकों द्वारा निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किये जाएं और आवधिक रूप से अद्यतन किये जाएं :

सचिव
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
भारत सरकार
लोक नायक भवन
5वाँ मंजिल, खान मार्केट
नई दिल्ली 110003

संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपि भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को भी प्रस्तुत की जाए।

- 3.8 अल्पसंख्यक समुदाय सकेंद्रित वाले चयनित जिलों में अग्रणी बैंक जागरूकता उत्पन्न करने, हिताधिकारियों की पहचान करने, अर्थक्षम योजनाएँ तैयार करने, विपणन और विनिर्माण सुविधाएँ उपलब्ध कराने यथा निविष्टियों की आपूर्ति/विपणन वसूली आदि सहित अतिरिक्त कार्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग/वित्त निगम को सम्मिलित कर सकते हैं ।
- 3.9 चयनित जिलों में अग्रणी बैंक, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों/गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीबों तक पहुँच सकते हैं ।

4. विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अग्रिम

अजा / अजजा विकास निगमों को जिन शर्तों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, बैंक उन्हीं शर्तों पर विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यक वित्त / विकास निगम को ऋण प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निगमों के हिताधिकारी पात्रता संबंधी मानदंडों तथा योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तें पूरी करते हों ।

5. निगरानी

- 5.1 विशिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली ऋण सहायता के आँकड़े भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को प्रतिवर्ष मार्च और सितंबर के अन्तिम शुक्रवार को छमाही आधार पर भेजे जाने चाहिए । विवरण (अनुबंध I में दिया गया) प्रत्येक छमाही की समाप्ति से एक माह के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक में पहुँच जाना चाहिए ।
- 5.2 भागीदारी फर्म के मामले में, यदि भागीदारों में से अधिकांश विशिष्ट समुदायों से संबंधित हैं तो, ऐसी भागीदारी फर्मों को दिए गए अग्रिम को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों में गिना जाना चाहिए तथा उसे तदनुसार निर्धारित विवरण में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि किसी कम्पनी का कानूनी रूप से पृथक अस्तिव है, तो उसे दिए गए अग्रिमों को निर्धारित अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता ।
- 5.3 चयनित जिलों में जिला परामर्शदात्री समितियों के आयोजक बैंकों को संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक माह के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को अपने अग्रणी उत्तरदायित्व के अन्तर्गत जिले के लिए निर्धारित फार्मेट में (अनुबंध III में) उनके द्वारा संकलित बैंकों द्वारा निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को स्वीकृत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के आँकड़े प्रस्तुत करने चाहिए ।
- 5.4 अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों में होनी चाहिए ।

5.5 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को संबंधित जिला परामर्शदात्री समितियों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों की कार्यसूची का सार और बैठकों का कार्यवृत्त वित्त मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय को उनके प्रयोग के लिए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए ।

6. प्रशिक्षण

- 6.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक स्टाफ और अन्य अधिकारी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को उचित प्रकार से समझते हैं, पदाधिकारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए बैंकों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, प्रारंभिक पाठ्यक्रम, ग्रामीण उधार पर कार्यक्रम, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित सत्रों को सम्मिलित करना चाहिए ।
- 6.2 चयनित जिलों में कार्यरत अग्रणी बैंकों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य बैंकों द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें । इन जिलों की जनता के बड़े भाग द्वारा किए जा रहे बड़े व्यवसाय अथवा गतिविधि के आधार पर राज्य सरकारों, उद्योग विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, लघु उद्योग विकास बैंक, राज्य तकनीकी परामर्शदाता संगठन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा अन्य संगठनों, जो ऐसे प्रशिक्षण और ओरियंटेशन देने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं, के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए । कार्यक्रम की अवधि, कार्यक्रम की विषयवस्तु और संकाय सदस्यों का चयन इत्यादि से संबंधित निर्णय प्रत्येक अग्रणी बैंक द्वारा जिले में जनता की तात्कालिक स्थितियों, वर्तमान कौशल और आवश्यकता के साथ-साथ योग्यता को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए ।
- 6.3 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों द्वारा इन जिलों में पदापित स्टाफ को विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से प्रबोधित और प्रोत्साहित करना चाहिए ।
- 6.4 अग्रणी बैंक नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों को व्यष्टि ऋण/उधार देने के संबंध में बैंक के पदाधिकारियों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करें ।

7. प्रचार

- 7.1 सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता वाले स्थानों तथा विशेष रूप से अनुबंध II में सूचीबद्ध जिलों में होना चाहिए जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय बड़ी मात्रा में हैं ।
- 7.2 चयनित जिलों में अग्रणी बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों के बीच बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के उचित उपायों का प्रचार-प्रसार करना चाहिए ; यथा i) प्रिंट

7.3 मीडिया अर्थात् स्थानीय भाषाओं में पेंप्लेटों का वितरण, समाचार पत्रों में विज्ञापन/लेख इत्यादि ii) टी.वी.चैनल - दूरदर्शन/स्थानीय चैनल iii) इन समुदायों द्वारा धार्मिक/त्यौहारों के अवसरों पर आयोजित मेलों में सहभागी होना / स्टॉल लगाना ।

8. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम

8.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के विकास हेतु सितम्बर 1994 में की गई । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम एक शिखर संस्था के रूप में कार्य करता है तथा संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों के राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से हिताधिकारियों को राशि उपलब्ध कराता है ।

8.2 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के साथ-साथ मार्जिन मनी योजना जो परियोजना लागत के 60% तक बैंक वित्त से जुड़ी हुई है, परिचालित है । परियोजना लागत की शेष राशि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी और हिताधिकारी द्वारा क्रमशः 25%, 10%, और 5% के अनुपात में वहन की जाएगी । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा आरंभ की गई मार्जिन मनी योजना का कार्यान्वयन बैंकों द्वारा किया जाएगा । बैंक वित्त प्रदान करते समय बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखना होगा । यह सुनिश्चित किया जाए कि ऋण की राशि से सृजित आस्तियाँ बैंक के पास बंधक/गिरवी रखी जाएंगी । बैंकों द्वारा की गई वसूली में से पहले बैंक को देय राशि की वसूली की जाएगी ।

9. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम

भारत सरकार ने हाल ही में अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए "प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम" को संशोधित किया है । उक्त कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधार का यथोचित प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों को देने का लक्ष्य रखा जाए और यह भी कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न लाभ, सुविधाओं से वंचित लोगों तक पहुंचते हैं जिनमें अल्प संख्यक समुदायों के सुविधाहीन वर्ग भी शामिल हों । यह नया कार्यक्रम केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित किया जाना है और यह अल्प संख्यक संकेद्रित जिलों में विकास परियोजनाओं के विशिष्ट अनुपात की स्थिति दर्शाता है । तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को हमारे दिनांक 1 सितंबर 2006 के परिपत्र ग्राआक्रृति.एसपी .

22/

09.10.01/2006-07 द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समस्त लक्ष्यों और कमज़ोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य के अंदर अल्प संख्यक समुदायों को भी ऋण का उचित हिस्सा प्राप्त होता है । अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जिला ऋण योजना तैयार करते समय इस आवश्यकता को ध्यान में रखें ।

अनुबंध II

-----को समाप्त छिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की तुलना में
निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदयों के सदस्यों को स्वीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को
अग्रिम दर्शनिवाला विवरण

(पैराग्राफ 5.1 के अनुसार)

(खातों की संख्या - वास्तविक)

(राशि लाख रुपयों में)

बैंक का नाम _____ बैंक कोड _____

भाग 'ए' - चुने गए जिलों के लिए

अनुबंध II

अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची

(पैराग्राफ 3.2, 5.3 और 7.1 के अनुसार)

29 राज्यों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों की सूची (उन छ: राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ अल्पसंख्यक अधिक संख्या में है)

Sl. No .	राज्य	क्र. संख्य ।	जिला	कुल आबादी	मुस्लिम आबादी	कुल आबादी में मुस्लिम का %	ईसाई आबादी में ईसाई का %	कुल आबादी में ईसाई का %	सिख आबाद ी	कुल आबादी में सिख का %	बुद्धिस्ट आबादी	कुल आबादी में बुद्धिस्ट का %	कुल आबादी में अल्पसंख्यक आबादी	अल्पसंख्यकों की आबादी का %
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV
1	अदमान (2)	1	निकोबार	42068	2131	5	28145	67	508	1	40	0	30,824	73
	अदमान	2	अदमान	314084	27134	9	49033	16	1079	0	381	0	77627	25
2	आध प्रदेश (1)	3	हैदराबाद	3829753	1576583	41	92915	2	1095 1	0	832	0	1681281	44
3	अरुणाचल प्रदेश (7)	4	तवाग	38924	225	1	308	1	420	1	29083	75	30036	77
	अरुणाचल प्रदेश	7	चगलाग	125422	1163	1	21931	17	47	0	42744	34	65885	53
	अरुणाचल प्रदेश	6	तिराप	100326	756	1	50199	50	99	0	675	1	51729	52
	अरुणाचल प्रदेश	7	वेस्ट कामेंग	74599	1159	2	2462	3	426	1	33104	44	37151	50
	अरुणाचल प्रदेश	8	पापुम परें*	122003	5318	4	36574	30	263	0	3330	3	45485	37
	अरुणाचल प्रदेश	9	इस्ट कामेंग	57179	384	1	14550	25	46	0	705	1	15685	27
	अरुणाचल प्रदेश	10	लोअर सुबनसिरी	98244	830	1	24078	25	52	0	284	0	25244	26
4	असम (13)	11	धुब्री	1637344	1216455	74	12477	1	159	0	292	0	1229383	75
	असम	12	गोआल पाडा	822035	441516	54	64662	8	108	0	178	0	506464	62
	असम	13	बरपेटा	1647201	977943	59	5267	0	258	0	194	0	983662	60
	असम	14	हैलाकांडी	542872	312849	58	5424	1	9	0	589	0	318871	59

	असम	15	करीमगज	1007976	527214	52	8746	1	128	0	346	0	536434	53		
	असम	16	नगाव	2314629	1180267	51	21473	1	3055	0	1058	0	1205853	52		
	असम	17	मरीगाव	776256	369398	48	759	0	69	0	84	0	370310	48		
	असम	18	दरगा	1504320	534658	36	97306	6	520	0	1871	0	634355	42		
	असम	19	बोगईगांव	904835	348573	39	18728	2	512	0	330	0	368143	41		
	असम	20	कन्नार	1444921	522051	36	31306	2	628	0	742	0	554727	38		
	असम	21	केकझार	905764	184441	20	12427	14	133	0	1574	0	310418	34		
	असम	22	नॉर्थ कन्नार	188079	4662	2	50183	27	220	0	857	0	55922	30		
	असम	23	कामरुप	2522324	625002	25	44257	2	4797	0	1709	0	675765	27		
5	बिहार (4)	24	किशनगंज	1296348	876105	68	2856	0	492	0	398	0	879851	68		
	बिहार	25	कटिहार	2392638	1017495	43	4994	0	2225	0	84	0	1024798	43		
	बिहार	26	अरारिया	2158608	887972	41	1251	0	469	0	1091	0	890783	41		
	बिहार	27	पुर्णिया	2543942	935239	37	4392	0	1394	0	77	0	941102	37		
6	दिल्ली (2)	28	सेंट्रल*	646385	193137	30	4628	1	1712	3	383	0	215274	33		
	दिल्ली	29	नॉर्थ * ईस्ट	1768061	481607	27	7640	0	1850	1	4802	0	512554	29		
7	गोवा (1)	30	साऊथ गोवा	589095	48827	8	22317	38	572	0	174	0	272751	46		
8	हरियाणा (2)	31	गुडगाव	1660289	617918	37	3258	0	6672	0	838	0	628686	38		
	हरियाणा	32	सिरसा	1116649	7056	1	1648	0	3E+0	27	306	0	311952	28		
9	हिमाचल प्रदेश(2)	33	लाहुल और स्पिटी	33224	134	0	84	0	34	0	19535	59	19787	60		
	हिमाचल प्रदेश	34	किनौर	78334	306	0	324	0	256	0	19405	25	20291	26		
10	झारखण्ड (3)	35	पटौर*	701664	227069	32	41099	6	456	0	52	0	268676	38		
	झारखण्ड	36	साहिबगंज	927770	290060	31	58723	6	290	0	40	0	349113	38		
	झारखण्ड	37	गुमला	1346767	59752	4	42510	32	511	0	245	0	485615	36		
11	कर्नाटक(2)	38	दक्षिण कन्नड	1897730	418904	22	16498	9	352	0	513	0	584751	31		
	कर्नाटक	39	बिदर	1502373	295762	20	43150	3	654	0	12208	8	461649	31		

12	केरल (14)	40	मल्लापुरम	3625471	2484576	69	80650	2	221	0	387	0	2565834	71		
	केरल	41	एर्नाकुलम	3105798	451764	15	1E+0 6	39	708	0	220	0	1657163	53		
	केरल	42	कोड्डीयम	1953646	116686	6	87137 1	45	43	0	77	0	988177	51		
	केरल	43	इंडुक्की	1129221	81222	7	48010 8	43	125	0	59	0	561514	50		
	केरल	44	वयनाड	780619	209758	27	17549 5	22	17	0	42	0	385312	49		
	केरल	45	पठानमथिट्ट ट	1234016	56457	5	48160 2	39	81	0	64	0	538204	44		
	केरल	46	कोशिकोड	2879131	1078750	37	12746 8	4	83	0	56	0	1206357	42		
	केरल	47	कसारागोड	1204078	413063	34	84891	7	85	0	42	0	498081	41		
	केरल	48	त्रिचूर	2974232	488697	16	72015 2	24	130	0	163	0	1209142	41		
	केरल	49	कन्नरू	2408956	665648	28	26101 9	11	312	0	118	0	927097	38		
	केरल	50	कोल्लम	2585208	474071	18	42374 5	16	198	0	214	0	898228	35		
	केरल	51	तिरुवनंतपुरम	3234356	431512	13	59556 3	18	335	0	270	0	1027680	32		
	केरल	52	पलावक्काड	2617482	703596	27	10924 9	4	232	0	113	0	813190	31		
	केरल	53	अलप्पुळा	2109160	208042	10	44164 3	21	192	0	202	0	650079	31		
13	मध्य प्रदेश (1)	54	भोपाल	1843510	421365	23	20429	1	1134 0	1	20561	1	473695	26		
14	महाराष्ट्र (9)	55	अकोला	1630239	296272	18	3494	0	1201	0	29318 4	18	594151	36		
	महाराष्ट्र	56	मुंबई	3338031	734484	22	10624 0	3	1633 0	0	16141 7	5	1018471	31		
	महाराष्ट्र	57	औरंगाबाद	2897013	569516	20	15558	1	4452	0	24722 2	9	836748	29		
	महाराष्ट्र	58	मुंबई	8640419	1488987	17	34016	4	5327	1	46435	5	2346778	27		

		(सबअर्बन)*			6		1		4						
	महाराष्ट्र	59	अमरावती	2607160	347250	13	7315	0	2940	0	35040	13	707908	27	
	महाराष्ट्र	60	बुलढाणा	2232480	285387	13	2545	0	1501	0	30650	14	595936	27	
	महाराष्ट्र	61	परभणी	1527715	243935	16	1368	0	789	0	15323	10	399323	26	
	महाराष्ट्र	62	वाशिम*	1020216	111863	11	1211	0	500	0	15058	15	264154	26	
	महाराष्ट्र	63	हिंगोली*	987160	103199	10	468	0	474	0	14792	15	252068	26	
15	मणिपुर (6)	64	तर्मेगलोंग	111499	1431	1	10579	1	95	67	0	7	107296	96	
	मणिपुर	65	उख्खरुल	140778	881	1	13396	6	95	96	0	84	0	135027	96
	मणिपुर	66	चुराचंदपुर	227905	2573	1	21318	6	94	125	0	47	0	215931	95
	मणिपुर	67	चंदेल	118327	2318	2	10912	8	92	125	0	60	0	111631	94
	मणिपुर	68	सेनापति (3 सब डिविज़न छोड़कर)	156513	637	0	12272	4	78	154	0	1281	1	124796	80
	मणिपुर	69	थोऊबल	364140	86849	24	5136	1	102	0	54	0	92141	25	
16	उड़िसा (1)	70	गजपति*	518837	1623	0	17366	3	33	2	0	1972	0	177260	34
17	पांडिचेरी (1)	71	माहे	36828	11411	31	816	2	0	0	1	0	12228	33	
18	राजस्थान (1)	72	गंगानगर	1789423	42442	2	1661	0	4E+0	5	25	971	0	486483	27
19	सिक्किम (4)	73	नॉर्थ	41030	391	1	1623	4	146	0	22603	55	24763	60	
	सिक्किम	74	साऊथ	131525	1700	1	12757	10	57	0	31109	24	45623	35	
	सिक्किम	75	ईस्ट	245040	4789	2	14502	6	958	0	64729	26	84978	35	
	सिक्किम	76	वेस्ट	123256	813	1	7233	6	15	0	33601	27	41662	34	
20	तमिलनाडु (1)	77	कन्याकुमारी	1676034	70360	4	74540	44	31	0	26	0	815823	49	

21	उत्तर प्रदेश(15)	78	रामपुर	1923739	945277	49	7297	0	6171 7	3	2227	0	1016518	53			
	उत्तर प्रदेश	79	मुरादबाद	3810983	1735381	46	8832	0	8610	0	2436	0	1755259	46			
	उत्तर प्रदेश	80	बिजौर	3131619	1306329	42	3411	0	4872 5	2	3376	0	1361841	43			
	उत्तर प्रदेश	81	सहारनपुर	2896863	1132919	39	5039	0	2069 3	1	3645	0	1162296	40			
	उत्तर प्रदेश	82	ज्योतिबा फुले नगर*	1499068	590308	39	4206	0	5578	0	248	0	600340	40			
	उत्तर प्रदेश	83	मुजफ्फर नगर	3543362	1349629	38	3303	0	1899 8	1	2356	0	1374286	39			
	उत्तर प्रदेश	84	बलरामपुर *	1682350	617675	37	1285	0	1334	0	2950	0	623244	37			
	उत्तर प्रदेश	85	बहराइच	2381072	829361	35	2196	0	7623	0	3296	0	842476	35			
	उत्तर प्रदेश	86	बरेली	3618589	1226386	34	9269	0	2897 1	1	7333	0	1271959	35			
	उत्तर प्रदेश	87	मेरठ	2997361	975715	33	7420	0	2643 4	1	2769	0	1012338	34			
	उत्तर प्रदेश	88	सिद्धार्थ नगर	2040085	600336	29	1280	0	1280	0	7930	0	610826	30			
	उत्तर प्रदेश	89	पीलीभीत	1645183	390773	24	1787	0	7547 9	5	1828	0	469867	29			
	उत्तर प्रदेश	90	श्रावस्ति*	1176391	301117	26	642	0	828	0	596	0	303183	26			
	उत्तर प्रदेश	91	बागपत	1163991	287871	25	1096	0	1032	0	322	0	290321	25			
	उत्तर प्रदेश	92	गाजियाबाद	3290586	782915	24	8809	0	2101 7	1	3298	0	816039	25			
22	उत्तरांचल (2)	93	हरिद्वार	1447187	478274	33	3048	0	1732 6	1	674	0	499322	35			
	उत्तरांचल	94	उधमसिंह नगर*	1235614	254407	21	3880	0	1E+0 5	11	1439	0	401188	32			
23	पश्चिम बंगाल (9)	95	मुर्शिदाबाद	5866569	3735380	64	13723	0	402	0	244	0	3749749	64			
	पश्चिम बंगाल	96	मालदहा	3290468	1636171	50	8388	0	283	0	164	0	1645006	50			

	পশ্চিম বাংগাল	97	উত্তর দিজনপুর	2441794	1156503	47	13172	1	252	0	335	0	1170262	48		
	পশ্চিম বাংগাল	98	বিরভুম	3015422	1057861	35	7382	0	347	0	222	0	1065812	35		
	পশ্চিম বাংগাল	99	সার্কেয় 24 পরগনা	6906689	2295967	33	52835	1	1680	0	1799	0	2352281	34		
	পশ্চিম বাংগাল	100	নাদিয়া	4604827	1170282	25	29563	1	699	0	635	0	1201179	26		
	পশ্চিম বাংগাল	101	দক্ষিণ দিজনপুর*	1503178	361047	24	22039	1	215	0	175	0	383476	26		
	পশ্চিম বাংগাল	102	হাওড়া	4273099	1044383	24	6284	0	3779	0	1085	0	1055531	25		
	পশ্চিম বাংগাল	103	নর্থ 24 পরগনা	8934286	2164058	24	20138	0	1067 9	0	5839	0	2200714	25		

अल्पसंख्यक सकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है

क्रम सं.	राज्य	क्रम सं.	चुने गए जिले
1.	जम्मू और कश्मीर	1.	लेह (लडाख)
2.	मेघालय	2.	वेस्ट गारो टिल्स
3.	मिज़ोरम	3.	लांगत्तीर्झ
	मिज़ोरम	4.	मामिट
4.	बिहार	5.	सीमाबढ़ी
	बिहार	6.	दरभंगा
	बिहार	7.	पश्चिम चंपारन
5.	झारखण्ड	8.	रांची
6.	कर्नाटक	9.	गुलबग्हा
7.	उत्तर प्रदेश	10.	बुलंदशहर
	उत्तर प्रदेश	11.	शाहजहांपुर
	उत्तर प्रदेश	12.	बदायूं
	उत्तर प्रदेश	13.	बराबंगी
	उत्तर प्रदेश	14.	खेरी
	उत्तर प्रदेश	15.	लखन
8.	पश्चिम बंगाल	16.	कूच बिहार
	पश्चिम बंगाल	17.	कोलकाता
	पश्चिम बंगाल	18.	बर्धमान

-----को समाप्त तिमाही के लिए समस्त प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों (चुने गए जिलों में) की तुलना में विनिर्दिष्ट अल्प संख्यक समुदायों को दिए गए प्राथमिकताप्राप्त अग्रिम दर्शनीवाला विवरण
(पैराग्राफ 5.3 के अनुसार)

जिले का नाम -----

(करोड़ रु. में)

समुदाय का नाम	खातों की संख्या		बकाया राशि	
	पिछली तिमाही	चालू तिमाही	पिछली तिमाही	चालू तिमाही
क. अल्पसंख्यक समुदाय				
1. इसाई				
2. मुस्लिम				
3. बुद्धिस्ट				
4. सिख				
5. ज्ञोरास्ट्रियन				
कुल (1 से 5)				
ख. अन्य				
ग. पहचाने गये जिलों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (क+ख)				
घ. (ग) की तुलना में (क) का हिस्सा प्रतिशत में				

नोट : (1) वास्तविक खातों की संख्या
(2) करोड़ रु. में बकाया राशि

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.4/पीएस. 160-86/87	24.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
2.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.97/पीएस. 160-86/87	29.7.86	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
3.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.1378/पीएस. 160-86/87	9.01.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
4.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.1563/पीएस. 160-86/87	11.02.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
5.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.75/पीएस. 160-86/87	08.04.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
6.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.14/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
7.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.374/पीएस. 160-87/88	31.07.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
8.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.45/पीएस. 160-87/88	16.10.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
9.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.55/पीएस. 160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
10.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.56/पीएस. 160-87/88	2.11.87	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
11.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.649/पीएस. 160-88/89	27.09.88	प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित 15 सूत्री निवेश
12.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.46/पीएस. 160-88/89	17.11.88	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
13.	ग्रआऋवि.सं.स्टैट.बीसी.66/स्टैट.2 0(सीबी)/88-89	21.01.89	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
14.	ग्रआऋवि.सं.एलबीएस.बीसी.121/ एलबीसी.34/88-89	07.06.89	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों और जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति और राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों में अजा/अजजा निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
15.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.37/सी. 453(यू)89-90	03.10.89	विभेदक ब्याज दर योजना - राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय/विकास निगमों के माध्यम से अग्रिम देना
16.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.124/ पीएस.160-89/90	26.06.90	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ
17.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.बीसी.80/पीएस. 160-92/93	10.03.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ - तिमाही विवरण
18.	ग्रआऋवि.सं.एसपी.1934/पीएस. 160-92:93	22.06.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएँ

19.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.17/पीएस. 160-93/94	10.8.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - कर्मचारियों को प्रशिक्षण
20.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.32/पीएस. 160-93/94	6.9.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
21.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.50/पीएस. 160-93/94	13.10.93	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - संशोधित फार्मेट
22.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.83/पीएस. 160-93/94	07.01.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि - तिमाही विवरण
23.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.166/ पीएस.160-93/94	15.06.94	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - 41 चयनित जिले
24.	एलबीएस.बीसी.29/02.03.01- 94/95	31.08.94	राज्य अल्पसंख्यक आयोगों/बोर्डों या राज्य स्तीय बैंकर समिति में राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगमों के प्रतिनिधियों को शामिल करना
25.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.79/ 09.10.01/94-95	09.12.94	विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों की सूची - बुधिदस्त के स्थान पर- नव बुधिदस्तों को शामिल करना
26.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.33/ 09.10.01/96-97	07.09.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - तिमाही विवरण
27.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.43/ 09.10.01/96-97	10.10.96	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि अनुदेशों का सार- संकलन
28.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.108/09. 12.01/96-97	28.02.97	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एमएमडीएफसी)
29.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.13/09.10.01/ 2001-02	13.08.01	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं - मूल्यांकन अध्ययन
30.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.1074/ 09.10.01/2001-02	21.01.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
31.	ग्राआक्रवि.सं.एसपी.बीसी.62/ 09.10.01/2001-02	04.02.02	अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्धि बढ़ाना
32.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.सं.22/ 09.10.01/2006-07	01.09.20 06	अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15 सूची कार्यक्रम
33.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.सं. 83/ 09.10.01/2006-07	27.04.07	उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों(जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप)को छोड़कर जहां अल्प संख्यक मेजोरिटी में हैं, उन 103 अल्पसंख्यक सकेंद्रित जिलों की सूची जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम से कम 25% है।
34.	ग्राआक्रवि.एसपी.बीसी.सं. 13/09.10.01/2007-08	16.07.07	अल्पसंख्यक सकेंद्रित उन 18 अतिरिक्त जिलों की सूची जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले 103 जिलों की पहले परिचालित की गई सूची में शामिल नहीं किया गया है